बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों में बालिकाओं का घटता हुआ शिशु लिंग अनुपात दर्शाया गया है। जनगणना के अनुसार 0-6 वर्ष आयु वर्ग के 1000 लड़कों के अनुपात में 918 लड़कियों का आंकड़ा होना पाया गया है, जोकि अब तक का सबसे कम है। सन् 1961 से शिशु लिंग अनुपात में निरन्तर गिरावट दर्ज की गई है। असंतुलित लिंग अनुपात दर्शाता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम हो रही है जोकि जन्म से पूर्व एवं जन्म के बाद लड़कियों के विरूद्ध भेदभाव को दर्शाता है। यह गिरावट देश में बड़े पैमाने पर है और ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में भी फैल चुकी है ।

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों में लड़कियों की घटती संख्या के बारे में जो आंकड़े दर्शाये गये हैं उससे प्रतीत होता है कि कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करने की जरूरत है। बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित एवं त्वरित प्रयासों की आवश्यकता है। भारत सरकार ने देश भर में एक जन-अभियान के माध्यम से असंतुलित शिशु लिंग अनुपात में गिरावट की समस्या का समाधान करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की है एवं 100 जिले जिनमें लिंग अनुपात असंतुलित है, में हस्तक्षेप करना व बहुक्षेत्रीय कार्यवाही पर ध्यान केन्द्रीत किया है ।

देश में यह योजना 100 जिलों में तथा हरियाणा में 12 जिलों नामतः महेन्द्रगढ़, झज्जर, रिवाड़ी, सोनीपत, अम्बाला, कुरूक्षेत्र, करनाल, रोहतक, यमुनानगर, कैथल, भिवानी तथा पानीपत जिनमें असंतुलित लिंग अनुपात है, में शुरू की जाएगी ।

ध्येय

- बालिका के जन्म पर खुशी मनाना और उन्हें आत्म-निर्भर बनाने के लिये उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना।

उद्देश्य

- पक्षपाती लिंग जांच को रोकना
- बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना
- बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना

लक्ष्य

- असंतुलित लिंग अनुपात वाले चयनित 100 जिलों में एक वर्ष में जन्म लिंग अनुपात में 10 अंकों तक सुधार।
- पांच वर्ष तक के बच्चों की शिशु मृत्यु दर में लिंग भिन्नता को 2011 में 8 अंक से 2017 तक 4 अंक तक कम करना।
- बालिकाओं के पोषण की स्थिति में सुधार - 5 वर्ष तक की बालिकाएं जिनका वजन कम है तथा खून की कमी है उनकी संख्या को कम करना (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 स्तर के अनुसार)।
- समेकित बाल विकास सेवाएं योजना (आई0सी0डी0एस0), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) जच्चा - बच्चा सुरक्षा कार्ड का उपयोग करते हुए आई0सी0डी0एस0 के सर्वभौमिकरण एवं लड़कियों की उपस्थिति एवं बराबर की देखभाल सुनिश्चित करना ।
- माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के नामांकन को वर्ष 2013-14 के अति असंतुलित 76 प्रतिशत से वर्ष 2017 तक 79 प्रतिशत तक बढ़ाना ।
- वर्ष 2017 तक अति असंतुलित 100 जिलों के प्रत्येक स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय का प्रबन्ध करना ।
- बालिकाओं के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण देने के लिए बाल यौन सुरक्षा अपराध अधिनियम, 2012 को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना ।
- निर्वाचित प्रतिनिधि/ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को, समुदायों को

शिशु लिंग अनुपात में सुधार और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एकजुट करने हेतू सामुदायिक चैम्पियन के रूप में प्रशिक्षित करना।

कार्यवाही के लिए दिशा-निर्देश

- जिला स्तर पर संबन्धित विभाग जैसे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा, पंचायती राज/ग्रामीण विकास एवं पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों के साथ उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला टास्कफोर्स का गठन।
- खण्ड स्तर पर उप मण्डल अधिकारी/खण्ड अधिकारी/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा खण्ड स्तरीय टास्कफोर्स का गठन एवं खण्ड स्तरीय टास्कफोर्स की नियमित त्रैमासिक बैठक व समयबद्ध तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- ग्राम स्तर पर समन्वय, कार्यान्वयन और कार्ययोजना की निगरानी ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पौषाहार समिति जोकि ग्राम पंचायत की उप समिति है, की जिम्मेदारी होगी।

हरियाणा राज्य के जिलावार लक्ष्य (2014-15 एवं 2015-16)

क्रमांक	जिले का नाम	वर्तमान लिंग अनुपात	लक्ष्य	
		2013-14	2014-15	2015-16
1	करनाल	736	746	756
2	महेन्द्रगढ	792	802	812
3	रिवाड़ी	805	815	825
4	कुरूक्षेत्र	819	829	839
5	झज्जर	827	837	847
6	सोनीपत	832	842	852
7	भिवानी	869	879	889
8	अम्बाला	871	881	891
9	कैथल	893	903	913
10	रोहतक	899	909	919
11	यमुनानगर	903	913	923
12	पानीपत	926	936	946

योजना के तहत पुरस्कार

योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा को बढावा देने के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार के तहत 5.00 लाख रूपये प्रति वर्ष जिले में 5 स्कूलों को निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार दिये जाएंगेः-

- एक लाख रूपये का पुरस्कार उस स्कूल प्रबंधन समिति को दिया जाएगा जो कि प्राथमिक स्कूल की आस-पास की 100 प्रतिशत लड़कियों को स्कूल में दाखिला दिलवाएगी और उनकी प्रथम वर्ष में उपस्थिति सुनिश्चित रखेगी ।
- एक लाख रूपये का पुरस्कार उस स्कूल प्रबंधन समिति को दिया जाएगा जो कि कक्षा 5 में पढ़ रही 100 प्रतिशत लड़कियों को उसी स्कूल या नजदीक के उच्च प्राथमिक स्कूल में कक्षा 6 में भेजेगी ।
- दो पुरस्कार प्रत्येक एक लाख रूपये का उस उच्च प्राथमिक स्कूल प्रबंधन समिति को दिया जाएगा जो कि कक्षा 8 में पढ़ रही लड़कियों को कक्षा 9 में उसी स्कूल या किसी नजदीकी माध्यमिक विद्यालय में दाखिला सुनिश्चित करेगी।
- एक लाख रूपये का पुरस्कार उस उच्च माध्यमिक स्कूल प्रबंधन समिति को दिया जाएगा जो कि कक्षा 10 में पढ़ रही लड़कियों को कक्षा 11 में उसी स्कूल या किसी नजदीकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दाखिला सुनिश्चित करेगी।

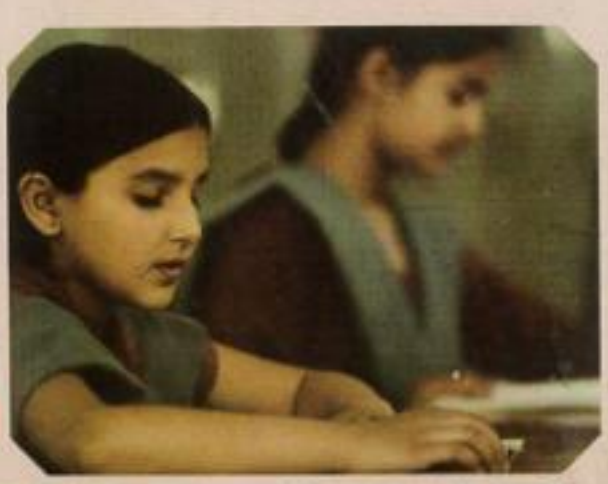

महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा

बेज नं.: 15-20, सैक्टर 4, पंचकूला

दूरभाषः 0172-2560349

Website: www.wcdhry.gov.in

Email: wcd@hry.nic.in